न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 —07/2019

अनवान : —

1. चावली पत्नी जगराम जाति जाट निवासी ग्राम राखी, तहसील भादरा ।
2. रामकुमार पुत्र जगराम जाति जाट निवासी ग्राम राखी, तहसील भादरा ।
3. धोलाराम पुत्र जगराम जाति जाट निवासी ग्राम राखी, तहसील भादरा ।
4. कृष्णलाल पुत्र जगराम जाति जाट निवासी ग्राम राखी, तहसील भादरा।
5. तीजा देवी पुत्री जगराम जाति जाट निवासी ग्राम राखी, तहसील भादरा।

— प्रार्थीगण

ब ना म

1. तहसीलदार राजस्व तहसील भादराजिला हनुमानगढ राजसस्थान ।

:— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड में नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भ—राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—किशनलाल यादव — **प्रार्थी**
पेरोकार राज — **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 3/3/2020

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा राखी के खाता सं 30/28 के खसरा सं 31/3 की 4.8570है0 , खसरा सं 205/3 की 1.670है0 तथा खसरा सं 227/2 की 2.6050है0 खसरा सं 229/2 की 1.846है0 बारानी कृषी भूमी प्रार्थीया संख्या 1 के पति व प्रार्थी सं 2 ता 4 के पिता जुगलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा खोतेदारी दर्ज है।

जगराम को उपर वर्णित भूमी विरासतन अपने पिता शेरा राम से प्राप्त हुई। उक्त वर्णित कृषी भूमि खसरा सं 31/3, 205/3, 227/2, 229/2 में प्रार्थीया सं 1 के पति व प्रार्थी सं 2 ता 4 के पिता का नाम विरासतन दर्ज करते समय सहबन से जुगलाल वल्द शेरा दर्ज हो गया है जबकि सही नाम जगराम पुत्र शेरा राम है। प्रार्थीया सं 1 के पति के राशन कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड सभी दस्तावेज जगराम नाम से ही है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने से प्रार्थीगण के हितों पर विपरित असर पडेगा। प्रार्थीगण उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में जुगलाल वल्द शेरा की जगह जगराम वल्द शेरा राम दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस सुनी गई।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा राखी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। कि उपर वर्णित कृषी भूमी प्रार्थीया चावली व प्रार्थी सं 2 ता 4 के पिता को अपने पिता शेरा राम से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषी भूमी में प्रार्थीया सं 1 के पति का नाम जुगलाल वल्द शेरा दर्ज हो गया जबकि सही नाम जगराम वल्द शेरा राम है। प्रार्थी रामकुमार पुत्र जगराम ग्राम राखी तहसील भादरा ने जमाबंदी गांव राखी संवत् 2072–75 प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बोझला प्रदर्श 2 नाम संशोधन बाबत प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र जगराम 4ए है। तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि की चित्र प्रति प्रदर्शित करवायें। इस प्रकार प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा राखी के खाता सं 30/28 के खसरा सं 31/3 की 4.8570है0 , खसरा सं 205/3 की 1.670है0 तथा खसरा सं 227/2 की 2.6050है0 खसरा सं 229/2 की 1.846है0 बारानी कृषी भूमी प्रार्थीया संख्या 1 के पति व प्रार्थी सं 2 ता 4 के पिता जुगलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा खोतेदारी दर्ज है। जिसमें जुगलाल वल्द शेरा की जगह जगराम वल्द शेरा राम दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज०)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ